भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1270

मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत मंदिर उत्सवों को छूट

1270. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 11 अक्तूबर, 2024 को विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई अधिसूचना जारी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल में त्रिस्सूर पूरम जैसे त्यौहारों और अन्य संबंधित त्यौहारों में पटाखों के उपयोग की लंबे समय से परंपरा रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत पटाखों के उपयोग के लिए छूट देने का कोई प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : जी, नहीं। तथापि, दिनांक 11.10.2024 को हम अधिसूचना लेकर आए हैं, जो पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाती है।

(ख) : जी हां।

(ग) : उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****